संख्या-40/2026/937/78-1-2026-54/2026

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- समस्त उद्योग संघ, उ0प्र0 द्वारा (MD UPLC)।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 10-08-2026**

विषय- राज्य में लखनऊ एवं नोएडा में यू-हब (डीप-टेक हब) की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

अवगत हैं कि राज्य में प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के साथ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI), क्वांटम प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर तथा जैव प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को नवाचार-आधारित विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता एवं दीर्घकालिक आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता के महत्वपूर्ण प्रेरक के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्य स्तर पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2020 के अंतर्गत इन्क्यूबेटरों एवं सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस (Centres of Excellence) की स्थापना कर राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया है। वर्तमान में राज्य, एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के अपने विजन के अनुरूप नवाचार-आधारित विकास की दिशा में अग्रसर है।

2- यू-हब की आवश्यकता

भारत के डीप-टेक पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार के बावजूद उन्नत अवसंरचना तक सीमित पहुँच, प्रोटोटाइपिंग एवं परीक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता, विनियामकीय जटिलताएँ तथा प्रारम्भिक चरण की जोखिम पूंजी (Risk Capital) की कमी जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ विद्यमान हैं। ये चुनौतियाँ अनुसंधान के व्यवसायीकरण (Commercialization) तथा स्टार्टअप्स के विस्तार (Scaling) में बाधा उत्पन्न करती हैं।

गुजरात एवं तेलंगाना जैसे अग्रणी राज्यों ने संरचित नवाचार हबों की स्थापना के माध्यम से ऐसी चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया है, उनके अनुरूप ही उत्तर प्रदेश में भी डीप-टेक नवाचार, निवेश आकर्षण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को गति प्रदान करने हेतु एक समर्पित संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इसी परिप्रेक्ष्य में, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान के रूपांतरण (Research Translation), स्टार्टअप इन्क्यूबेशन एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु राज्य के नियंत्रणाधीन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत **यू-हब (डीप-टेक)** की स्थापना का निर्णय लिया गया है। यू-हब का द्वि-स्थलीय (Dual-Location) मॉडल क्षेत्रीय क्षमताओं का लाभ उठाते हुए राज्य में संतुलित विकास सुनिश्चित करेगा।

यू-हब एक राज्य-समर्थित, अवसंरचना-आधारित इन्क्यूबेटर के रूप में कार्य करेगा, जो अत्याधुनिक डीप-टेक क्षेत्रों पर केंद्रित होगा तथा स्टार्टअप्स, नवाचार, उद्यमिता, निवेश संवर्धन एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगा। यू-हब का विशेष उद्देश्य विद्यमान व्यवसायीकरण कमिया (Commercialization Gap) की पूर्ति करना है, जिससे उत्तर प्रदेश को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यू-हब सभी हितधारकों (Stakeholders) के लिए एक एकीकृत मंच (Integrated Platform) होगा, जिसमें सह-कार्यस्थल (Co-working Spaces), प्रोटोटाइपिंग सुविधाएँ (Prototyping Facilities), बैठक कक्ष (Meeting Rooms), मेंटर्स (Mentors), भागीदारों (Partners) एवं निवेशकों (Investors) हेतु कार्यस्थल (Workspaces), लॉबी (Lobby) और कैफे (Cafe) जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। साथ ही, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Innovation Ecosystem) को सशक्त बनाने के लिए में डेमो एरिया (Demo Areas), ऑडिटोरियम (Auditoriums) और सहयोगात्मक कार्यक्षेत्र (Collaborative Zones) विकसित किए जाएंगे, जिससे सहभागिता (Participation), ज्ञान-विनिमय (Knowledge Exchange) और नवाचार (Innovation) को बढ़ावा मिल सके।

3- यू-हब का विजन (Vision) एवं मिशन (Mission) निम्नवत है:-

विजन (Vision):

यू-हब को डीप-टेक नवाचार, प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण, स्टार्टअप सृजन तथा प्रौद्योगिकी-आधारित औद्योगिक विकास के लिए भारत के अग्रणी एवं सर्वाधिक प्रतिष्ठित केंद्र के रूप में स्थापित करना।

मिशन (Mission):

विश्वस्तरीय अवसंरचना, रणनीतिक साझेदारियों, पूंजी तक पहुँच तथा नीतिगत सहयोग के माध्यम से डीप-टेक नवाचारों के सृजन, व्यवसायीकरण एवं विस्तार (Scaling) को प्रोत्साहित करते हुए नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना तथा उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप विकसित करना।

4- यू-हब (डीप-टेक) के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

i. **विश्वस्तरीय नवाचार अवसंरचना का विकास:**

लखनऊ एवं नोएडा में अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, इन्क्यूबेशन सुविधाओं तथा साझा प्रौद्योगिकी अवसंरचना से युक्त विश्वस्तरीय नवाचार केंद्रों की स्थापना करना, जिससे डीप-टेक स्टार्टअप्स को आवश्यक तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया जा सके।

ii. **उद्यमिता एवं समावेशी नवाचार को प्रोत्साहन:**

विद्यार्थियों, युवाओं, शोधकर्ताओं, महिलाओं एवं पेशेवरों के मध्य उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के गठन एवं विस्तार (Scaling) को सक्षम बनाना।

iii. **पूंजी संकलन एवं पारिस्थितिकी तंत्र संबंधों का सुदृढ़ीकरण:**

वेंचर कैपिटल, निजी निवेश, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि एवं कॉर्पोरेट साझेदारियों को आकर्षित करना तथा स्टार्टअप्स को बाजार तक पहुँच, व्यवसाय विकास एवं अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।

iv. **आर्थिक विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना:**

उच्च गुणवत्ता वाले कुशल रोजगार के अवसर सृजित करना, निर्यातोन्मुख उद्यमों को प्रोत्साहित करना तथा उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी डीप-टेक नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना।

5- विशेषज्ञ सलाहकार समिति (Expert Advisory Committee-EAC) एवं उप-समिति-

यू-हब (डीप-टेक हब) की स्थापना तथा इसके लिए रणनीतिक मार्गदर्शन एवं क्षेत्र-विशिष्ट विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पत्र संख्या-510/78-1-2026-302/2025 दिनांक 12 मई, 2026 के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के निदेशक की अध्यक्षता तथा प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), लखनऊ के निदेशक की सह-अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) का गठन किया गया।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25 मई, 2026 को आयोजित की गई, जिसमें डीप-टेक हब की अवधारणा एवं संरचना पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल मॉडलों तथा सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(Best Practices) पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान एक 5-सदस्यीय उप-समिति का गठन किया गया।

6- उप-समिति द्वारा दिनांक 15 जून, 2026 को अपनी रिपोर्ट विशेषज्ञ सलाहकार समिति को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में स्थान एवं क्षेत्र चयन, प्रशासनिक ढाँचा (Governance Structure), संगठनात्मक संरचना, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) की योग्यता एवं पारिश्रमिक तथा बजट एवं वित्तीय नियोजन से संबंधित की गयी अनुशंसाओं के क्रम में यू-हब के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है:-

1. संस्था का नाम

संस्था का नाम **"यू-हब (डीप-टेक हब)"** रखा जाएगा। **"यू-हब (डीप-टेक हब)"** का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकरण किया जायेगा। यह नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा।

उक्त कंपनी का संचालन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा तथा इसका प्रशासन एवं पर्यवेक्षण विधिवत् गठित निदेशक मंडल (Board of Directors) द्वारा किया जाएगा।

2. यू-हब के प्रमुख कार्य

i. अवसंरचना, तकनीकी एवं नवाचार सहायता:

उच्च गुणवत्ता वाले कार्यस्थलों, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, प्रोटोटाइपिंग एवं परीक्षण सुविधाओं तक एकीकृत पहुँच उपलब्ध कराना तथा डीप-टेक नवाचार एवं अनुसंधान के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करना।

ii. मार्गदर्शन, परामर्श एवं क्षमता निर्माण:

विधिक, वित्तीय, अनुपालन, विपणन एवं व्यावसायिक रणनीति से संबंधित विशेषज्ञ मार्गदर्शन एवं पेशेवर सहायता उपलब्ध कराना तथा उद्यमिता विकास एवं क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।

iii. निवेश एवं पूंजी उपलब्धता का सुदृढ़ीकरण:

निवेशक संपर्क कार्यक्रमों, वेंचर नेटवर्क, डेमो-डे तथा संरचित पूंजी संकलन पहलों के माध्यम से स्टार्टअप्स को वित्तीय संसाधनों तक पहुँच उपलब्ध कराना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iv. साझेदारी एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विकास:

उद्योग, शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों तथा वैश्विक संगठनों के साथ सुदृढ़ सहयोग स्थापित करना तथा विभिन्न कार्यक्रमों, जन-जागरूकता गतिविधियों एवं ज्ञान-विनिमय पहलों को बढ़ावा देना।

v. व्यवसायीकरण, बौद्धिक संपदा सृजन एवं निगरानी:

अनुसंधान परिणामों के व्यवसायीकरण को समर्थन प्रदान करना, बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) के सृजन को प्रोत्साहित करना तथा Key Performance Indicators (KPIs) के माध्यम से कार्य निष्पादन का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करना।

3. स्थानवार डीप-टेक उप-क्षेत्रों (Sub-Verticals) का आवंटन

राज्य के डीप-टेक ईको-सिस्टम को सुदृढ़ करने, क्षेत्रीय क्षमताओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नोएडा एवं लखनऊ में डीप-टेक हब विकसित किया जाना है। उक्त हब को उसकी विशिष्ट क्षमताओं एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के आधार पर विभिन्न डीप-टेक उप-क्षेत्र आवंटित किए जायेंगे।

(i) नोएडा हब (2 एकड़):

नोएडा हब को उन्नत एवं उद्योग-संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाना है, जिनमें क्वांटम एवं उन्नत संगणना (Quantum and Advanced Computing), सेमीकंडक्टर डिजाइन एवं OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test), फिजिकल एआई एवं रोबोटिक्स (Physical AI and Robotics), रक्षा प्रौद्योगिकी (Defence Technology) तथा जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) के अंतर्गत नवीन API (Active Pharmaceutical Ingredient) खोज, उन्नत चिकित्सीय समाधान (Advanced Therapeutics), प्रिसिजन मेडिसिन (Precision Medicine) एवं जीनोमिक्स (Genomics) जैसे क्षेत्र सम्मिलित होंगे।

(ii) लखनऊ हब (4 एकड़):

लखनऊ हब को अनुप्रयोग-आधारित (Application-Driven) क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाना है, जिनमें अनुप्रयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Applied Artificial Intelligence - AI) के अंतर्गत गवटेक (Government Technology - GovTech),

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

औद्योगिक (Industrial) एवं स्वास्थ्य सेवा (Healthcare) क्षेत्र, तथा जैव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी (Biosciences and Biotechnology) के अंतर्गत डायग्नोस्टिक्स में एआई (AI in Diagnostics) एवं कृषि जैव-प्रौद्योगिकी (Agribiotechnology) जैसे क्षेत्र शामिल होंगे।

ऊर्जा क्षेत्र (Energy Sector) को पारिस्थितिकी तंत्र की तैयारी एवं परिपक्वता के आधार पर आगामी चरणों में सम्मिलित किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

4. यू-हब की संरचना

(1) निदेशक मंडल (Board of Directors)

निदेशक मंडल संस्था को समग्र रणनीतिक दिशा प्रदान करने, सुशासन सुनिश्चित करने तथा संगठन के कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी होगा। निदेशक मंडल में (संलग्नक-1) का कार्यकाल निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु 3 वर्ष का होगा।

निदेशक मंडल के पदेन (Ex-Officio) अध्यक्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के निदेशक होंगे। प्रथम निदेशक मंडल का गठन सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की संस्तुति पर माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की स्वीकृति से किया जाएगा।

प्रथम निदेशक मंडल के गठन के पश्चात आगामी नियुक्तियां वर्तमान निदेशक मंडल की एक उप-समिति, **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (Nomination and Remuneration Committee-NRC)** द्वारा कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA), आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्राविधानों के अनुसार की जाएगी।

(2) संगठनात्मक संरचना (Organizational Structure):

CEO एवं मुख्य टीम (Core Team): यू-हब (डीप-टेक हब) के दोनों केंद्रों नोएडा एवं लखनऊ का संचालन एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के नेतृत्व में होगा, जिसके साथ एक एकीकृत मुख्य टीम कार्य करेगी। टीम की संरचना चरणबद्ध (phase-wise) रूप से निर्धारित की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(a) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के मुख्य दायित्व **संलग्नक-2** में उल्लिखित हैं। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) उत्तरदायी होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का चयन एक प्रतिष्ठित शीर्ष-स्तरीय (top-tier) संस्था/फर्म से किया जाएगा। विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) की अनुशंसा पर, बोर्ड द्वारा समीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरांत अनुमोदनोपरान्त माननीय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात CEO की नियुक्ति (Onboarding) सुनिश्चित की जाएगी।

अंतरिम CEO व्यवस्था: स्थायी CEO की नियुक्ति होने तक, IIT कानपुर में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर के CEO अस्थायी नेतृत्व करेंगे। इससे संचालन का तत्काल आरंभ संभव होगा। स्थायी CEO के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

(b) **मुख्य टीम (Core Team):** प्रोग्राम, निवेशक संबंध (Investor Relations), वित्त (Finance) तथा संचालन (Operations) जैसे प्रमुख कार्यों को केंद्रीकृत रखा जाएगा, जबकि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं स्थानीय प्रशासनिक कार्य प्रत्येक केंद्र पर अलग-अलग संचालित किए जाएंगे, जिससे कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सके। सभी कार्यक्रम एक समान वार्षिक ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।

(c) **परियोजना निदेशक (Project Director):** IIT कानपुर (या किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान) से एक परियोजना निदेशक CEO के साथ कार्य करेगा तथा निदेशक मंडल को रिपोर्ट करेगा। यह मॉडल IIT मद्रास इनक्यूबेशन सेल, I-Hub Foundation for Cobotics तथा प्रवर्तक (Pravartak), IIT मद्रास के अनुरूप है।

5. अवसंरचना- यू-हब का विकास चरणबद्ध रूप से किया जाएगा तथा अंततः लगभग **6 लाख वर्ग फुट** अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिसमें **आईआईटी कानपुर**, नोएडा परिसर में 2 एकड़; बिल्ट-अप एरिया-**4 लाख वर्ग फुट** तथा **आईआईआईटी लखनऊ** परिसर में 4 एकड़; बिल्ट-अप एरिया-**2 लाख वर्ग फुट** क्षेत्र शामिल होगा।

चरणबद्ध विकास (Phase-wise Development)

यू-हब (डीप-टेक हब) का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फेज-1:

नोएडा एवं लखनऊ, प्रत्येक परिसरों में लगभग 25,000 वर्ग फुट क्षेत्र का उन्नयन किया जाएगा, जहाँ प्रारंभिक रूप से 20–30 स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान किया जाएगा। इस चरण में को-वर्किंग स्पेस, प्रोटोटाइपिंग क्षेत्र, मीटिंग कक्ष, मेंटर्स/निवेशकों हेतु कार्यस्थल, ऑडिटोरियम तथा लॉबी, कैफे एवं अन्य सामान्य सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।

अंतरिम फेज (आवश्यकता पड़ने पर):

नोएडा में लगभग 1,00,000 वर्ग फुट के किराये के परिसर में सीमित सुविधाओं के साथ अस्थायी विस्तार किया जाएगा, जिससे अतिरिक्त स्टार्टअप्स को स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

फेज-2:

दोनों शहरों में स्थायी परिसर विकसित किए जाएंगे-

- नोएडा: 2 एकड़ में लगभग 4,00,000 वर्ग फुट
- लखनऊ: 4 एकड़ में लगभग 2,00,000 वर्ग फुट

इन परिसरों में बहु-मंजिला स्टार्टअप कार्यालय, अत्याधुनिक डीप-टेक प्रयोगशालाएँ (AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, रोबोटिक्स आदि), साझेदार एवं निवेशक क्षेत्र, सरकारी एवं कॉर्पोरेट कार्यालय, तथा डेमो क्षेत्र, ऑडिटोरियम एवं सहयोगात्मक (collaborative) स्थान शामिल होंगे, जिससे समग्र नवाचार वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।

6. वित्तीय व्यवस्थाएँ- वित्तीय वर्ष 2026-27 में डीप-टेक हब की स्थापना हेतु रू0 **100 करोड़** का प्रावधान किया गया है, जिसमें रू0 **70 करोड़ पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure-Capex)** तथा रू0 **30 करोड़ परिचालन व्यय (Operational Expenditure-Opex)** के लिए निर्धारित हैं।

यू-हब संस्था का उद्देश्य समय के साथ वित्तीय आत्मनिर्भरता (Financial Sustainability) प्राप्त करना है। तथापि, प्रारंभिक चरण में संस्था के सुचारु संचालन एवं विकास के लिए लगभग **3 वर्षों तक राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग** की आवश्यकता हो सकती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यू-हब (डीप-टेक हब) के संबंध में विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) की उप-समिति द्वारा प्रस्तुत वित्तीय आकलन के अनुसार, 3 वर्षों की अवधि हेतु कुल अनुमानित बजट :

श्रेणी	**वर्ष 1** **(₹ Cr)**	**वर्ष 2** **(₹ Cr)**	**वर्ष 3** **(₹ Cr)**	**कुल** **(₹ Cr)**
कुल (अनुमानित व्यय उप-समिति द्वारा)	**370**	**301**	**331**	**1,002**

शेष संसाधनों की पूर्ति निजी निवेश, उद्योग सहयोग, CSR फंडिंग एवं अन्य वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से किया जायेगा।

उप-समिति की रिपोर्ट तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा किये गये तत्पश्चात् विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित बजट अनुमानित है।

3 वर्षीय बजट अनुमान (रू0 करोड़ में):

श्रेणी	**वर्ष 1** **(₹ Cr)**	**वर्ष 2** **(₹ Cr)**	**वर्ष 3** **(₹ Cr)**	**कुल** **(₹ Cr)**
फेज-1 साइट अपग्रेड एवं IT सेटअप 25,000 वर्ग फुट (IIT कानपुर, नोएडा एवं IIIT लखनऊ)	20	-	-	**20**
अंतरिम किराया (अंतरिम फेज)	-	10	12	**22**
डीप-टेक पूंजीगत उपकरण	100	100	50	**250**
परिचालन व्यय (Opex)	14.7	28.5	52.3	**95.5**
कुल (अनुमानित)	**134.7**	**138.5**	**114.3**	**387.5**

उक्त अनुमानित व्यय के सापेक्ष, राज्य सरकार द्वारा क्रमशः प्रथम वर्ष में रू0 134.7 करोड़, द्वितीय वर्ष में रू0 138.5 करोड़ तथा तृतीय वर्ष में रू0 114.3 करोड़ की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी, जो कुल मिलाकर रू0 387.5 करोड़ है जिसमें निर्माण व्यय सम्मिलित नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित **रू0 100 करोड़** कुल (अनुमानित) बजटीय व्यवस्था के अतिरिक्त, शेष वित्तीय आवश्यकता हेतु वित्त विभाग से परामर्श के उपरांत चरणबद्ध बजटीय प्रावधान की स्वीकृति पृथक रूप से प्राप्त की जाएगी

7- लाभ

यू-हब मॉडल उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित नवाचार केंद्र (Iconic Innovation Destinations) प्रदान करेगा। यह विखंडित कार्यक्रम-आधारित (Program-Based) मॉडलों की तुलना में अधिक तीव्र एवं व्यावसायिक रूप से सक्षम क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा तथा राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक सशक्त एवं विशिष्ट ब्रांड पहचान का निर्माण करेगा।

यू-हब घरेलू एवं वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करेंगे, स्टार्टअप्स की उत्तरजीविता (Survival) एवं विकास दर में वृद्धि करेंगे, प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करेंगे तथा उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। साथ ही, ये शासन, शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों, उद्योग जगत तथा उद्यमियों के मध्य सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे।

विशेष रूप से, नोएडा एवं लखनऊ आधारित द्वि-शहरी (Dual-City) मॉडल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा मध्य/पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करेगा। यह परियोजना डीप-टेक नवाचार के क्षेत्र में दीर्घकालिक संस्थागत क्षमता निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
2 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स,उ0प्र0 शासन।
3 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
4 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
समीर
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1
निदेशक मंडल

सदस्य	संख्या	प्रोफ़ाइल एवं दायित्व
अध्यक्ष (एक्स-आफिशियो)	1	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
शैक्षणिक क्षेत्र	2	निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), लखनऊ तथा निदेशक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), लखनऊ।
शैक्षणिक क्षेत्र	1	कुलपति, AKTU
अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक विशेषज्ञ	1	ऐसा शैक्षणिक विशेषज्ञ, जिसे भारत के बाहर किसी डीप-टेक इन्क्यूबेटर, अनुसंधान-व्यवसायीकरण (Research Commercialization) कार्यक्रम अथवा समकक्ष संस्था की स्थापना, संचालन अथवा नेतृत्व का प्रत्यक्ष व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। निदेशक मंडल की अधिकांश बैठकों में उनकी आभासी (Virtual) सहभागिता अपेक्षित होगी।
गवर्नमेंन्ट	2	उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग; तथा उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग (अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
वीसी/एआईएफ	2	एक प्रारंभिक चरण (Early-Stage) का निवेशक तथा एक परवर्ती/विकास चरण (Late-Stage) का निवेशक।
इण्डस्ट्री	3	एंकर कॉर्पोरेट भागीदारों (जैसे NVIDIA, Adobe, Samsung R&D, L&T Defence, Bharat Forge आदि) के वरिष्ठ नेतृत्व स्तर के प्रतिनिधि।

कार्य

• यू-हब की रणनीतिक दृष्टि, दीर्घकालिक दिशा निर्देशन तथा डीप-टेक उप-क्षेत्रों (Sub-Verticals) की प्राथमिकताओं का निर्धारण एवं समय-समय पर समीक्षा करना।

• वार्षिक परिचालन योजनाओं, कार्यक्रमों, प्रमुख साझेदारियों तथा यू-हब की नीतियों का अनुमोदन करना।

• मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) की नियुक्ति एवं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना तथा एंकर शैक्षणिक संस्था द्वारा नामित प्रोजेक्ट निदेशक (Project Director) की नियुक्ति का अनुमोदन करना।

• कार्यकारी अधिकारियों के पारिश्रमिक की सीमा (Compensation Bands) निर्धारित करना तथा दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजनाओं (Long-Term Incentive Plans - LTI) को अनुमोदित करना।

• बौद्धिक संपदा (IP) आधारित परिणाम संकेतकों (Outcome Metrics) के सापेक्ष हब के प्रदर्शन की त्रैमासिक समीक्षा करना।

• निदेशक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित (Delegated) सीमाओं से अधिक पूंजीगत व्यय अथवा निवेश संबंधी निर्णयों को अनुमोदित करना।

• प्रत्येक दो वर्ष में स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय (Third-Party) प्रदर्शन मूल्यांकन का संचालन सुनिश्चित करना तथा उसकी समीक्षा करना।

• निदेशक मंडल के निर्णय द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) को पद से हटाने संबंधी कार्रवाई को अनुमोदित करना तथा संस्था की परिचालन स्वायत्तता को राजनीतिक चक्रों के प्रभाव से संरक्षित रखना।

निदेशक मंडल की उप-समितियाँ

• चयन उप-समिति (Selection Sub-Committee):

स्टार्टअप समूहों (Cohort Companies) के चयन एवं प्रवेश से संबंधित कार्य करेगी। यह एक परिचालन-आधारित (Operator-Led) समिति होगी तथा निदेशक मंडल से पृथक रूप से कार्य करेगी।

• नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (Nomination and Remuneration Committee - NRC):

प्रथम निदेशक मंडल (जिसका गठन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा) के पश्चात् निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति करेगी। यह समिति मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) एवं कार्यकारी नेतृत्व दल के पारिश्रमिक का निर्धारण करेगी तथा उपाध्यक्ष (VP) स्तर की नियुक्तियों का अनुमोदन (Ratification) करेगी।

• लेखा परीक्षण उप-समिति (Audit Sub-Committee):

वित्तीय नियंत्रण, वार्षिक लेखा परीक्षण (Annual Audit) तथा वैधानिक अनुपालन (Statutory Compliance) से संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी।

संलग्नक-2

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुख्य दायित्व (Key Responsibilities)

• निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशन एवं चयनित डीप-टेक उप-क्षेत्रों (Sub-Verticals) के अनुरूप यू-हब की रणनीति का निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन करना।

• साइट प्रमुखों (Site Leads) के सहयोग से नोएडा एवं लखनऊ स्थित दोनों केंद्रों के दैनिक संचालन का नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण करना।

• कार्यकारी नेतृत्व दल (Executive Team) तथा अन्य कार्मिकों का गठन, नेतृत्व एवं प्रेरण करना तथा स्टार्टअप समूहों (Cohorts) के चयन, कार्यक्रमों एवं अवसंरचना के संचालन की निगरानी करना।

• कोष (Corpus Fund), संस्थापक अनुदान (Founder Grants), अनुवर्ती वित्तपोषण (Follow-on Funding) तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत सह-वित्तपोषण (Co-Funding) सहित पूंजी निवेश एवं वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग का नेतृत्व करना।

• एंकर शैक्षणिक संस्थानों, कॉर्पोरेट भागीदारों, निवेशकों तथा शासकीय संस्थाओं के साथ रणनीतिक साझेदारियों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण करना।

• मीडिया, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, भारत सरकार तथा अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान एवं निवेश नेटवर्कों के समक्ष यू-हब का प्रतिनिधित्व करना।

• बौद्धिक संपदा (IP) आधारित उपलब्धि एवं प्रदर्शन ढाँचे (Milestone Framework) के अनुरूप निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी रहना तथा त्रैमासिक प्रदर्शन समीक्षा में भाग लेना।

****